

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 315] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7, 1984/आषाढ़ 16, 1906
(No. 315) NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7, 1984/ASADHA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1984

का. आ. 492(अ).—ट्रैक्टर (वितरण तथा बिक्री) नियंत्रण आदेश, 1971 की धारा-3 के अन्वय में तथा भारत सरकार, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 647(ई) दिनांक 30 अगस्त, 1983 का अधिलंघन करते हुए केंद्रीय सरकार एतद्वारा श्री रजनीव गुप्त, निदेशक, उद्योग मंत्रालय भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार को उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए नियंत्रक नियुक्त

करती है और उन्हें भारत में निर्मित ट्रैक्टरों के संबंध में उक्त आदेश के उपायों के अधीन नियंत्रक का कार्य सौंपती है ।

[सं. 12(21)/74-एईआई (2)]

के. एस. बैस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)
NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 1984

S.O. 492(E).—In pursuance of Clause 3 of the Tractors (Distribution and Sale) Control Order, 1971 and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Heavy Industry) No. S.O. 647(E) dated the 30th August, 1983 the Central Government hereby appoints Shri Ranjit Gupta, Director, Ministry of Industry, Department of Heavy Industry, Government of India, as a Controller for the purposes of the said Order and assigns to him the functions of Controller under the provisions of the said Order in respect of Tractors manufactured in India.

[No. 12(21)/74-AEI(II)]

K. S. BAINS, Jt. Secy.